राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन–पत्र

क–मृतक का विवरण

1: * नाम .....2 : सुपुत्र .....

2: * लिंग(पुरुष/महिला)..... 4 : मृत्यु के समय उम्र.....

3: * पता ग्राम.....

ग्राम पंचायत/वार्ड/स्थान .....

उप जिला/ब्लाक (विकासखण्ड).....

जिला .....

राज्य ..... पिन कोड.....

आवेदक का नवीनतम् फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अध्यक्ष/सभासद नगरपालिका/ग्राम विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापित

4: * **बी0पी0एल0 विवरण–**

वर्ष ..... स्थान ..... परिवार आईडी संख्या .....

सदस्य आईडी संख्या .....

ख– परिवार के सदस्य का विवरण जिसे सहायता दी जायेगी–

1: * नाम श्रीमती/श्री.....2 : सुपुत्र पत्नी/पति/पुत्र.....

2: * लिंग(पुरुष/महिला)..... 4 : परिवार रजिस्टर की नकल (संलग्न करें) .....

3: * **बी0पी0एल0 विवरण–**

वर्ष ..... स्थान ..... परिवार आईडी संख्या .....

सदस्य आईडी संख्या .....

4 * आवेदक का डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक शाखा का नाम एवं पता.....

खातासंख्या | | | | | | | | | | | | | | | |

IFSC Code No | | | | | | | | | | |

डाकघर/ बैंक शाखा पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्पष्ट फोटो प्रति संलग्न करें।

5 * वोटर पहचान पत्र संख्या .....

6 – आधार नम्बर ..... | | | | | | | | | | | |

7 * स्वयं अथवा निकट संबंधी का मोबाइल नम्बर .....

आवेदक के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

अनुबंध IV जारी

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) मॉडल स्वीकृति आदेश

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)

स्वीकृति आदेश संख्या .....दिनांक.....

आवेदक द्वारा घोषणा–

कृपया राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत (मृतक का नाम) .....आयु.....
.....(मृतक की) ग्राम पंचायत/वार्ड/नगरपालिका.....तहसील.....जिला.....
..... राज्य उत्तराखण्ड की मृत्यु होने पर (आवेदक का नाम).....
.....पिता/पति का नाम.....को .....
.....रुपये का भुगतान करें।

स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, के हस्ताक्षर, नाम सहित एवं मुहर **ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर,नाम सहित एवं मुहर**

शहरी क्षेत्र के लिये

सहायक समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं मुहर **उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं मुहर**

नोट– * **सम्बन्धित कालम अनिवार्य रुप से भरे जाने हैं।**

– **सम्बन्धित कालम ऐच्छिक/उपलब्धता के आधार रुप से भरे जाने हैं।**